

न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद रां०-६८/२०१६-१७

3

क्रमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

14.३.२५
—:आदेश:—
अपर समाहर्ता, चतरा के पत्रांक 200/रा०, दिनांक—28.02.2020 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक—695 (5)/रा०, दिनांक—25.02.2020 एवं पत्रांक 2074/रा०, दिनांक—13.05.2016 में दिये गये आदेश/निदेश के अनुपालनार्थ संदेहात्मक जमाबंदी की जांच की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत दी गई जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। जमाबंदी रैयत/उनके वंशज द्वारा अपने जमाबंदी के पक्ष में दिये गये राजस्व रसीद आदि का अंचल में संधारित भण्डार पंजी से जांच किया गया। रैयत द्वारा हुकुमनामा एवं 1992 में निर्गत सरकारी रसीद एवं छः अपठनीय सरकारी रसीद दाखिल किया गया।

जमाबंदीदार द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन एवं जांचोपरांत स्पष्ट होता है कि मनतौर कुमारी के नाम से मौजा—मांझीपारा थाना नं० 150 खाता नं०, 48 प्लॉट नं०, 640, 220 रकवा 6.61 ए० गैरमजरुआ खास भूमि किस्म जंगल—झाड़ी पंजी II के पृष्ठ सं० 39/1 पर कायम जमाबंदी संदिग्ध पाया गया। आवेदक रिट्टन की प्रति दाखिल करने में असमर्थ रहे। जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम सादा है एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम हुई है। यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत के नाम से वर्ष—1992 में जमाबंदी कायम की गई है। जमाबंदी कायम करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकार के आदेश से जमाबंदी कायम नहीं की गई है। विभागीय पत्रांक—6144/रा०, दिनांक—21.12.2017 द्वारा वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि को नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक—6144/रा०, दिनांक—21.12.2017 एवं पत्रांक—6205/रा०, दिनांक—27.12.2017 में प्रतिवेदित चेक स्लीप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया लेकिन प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नहीं पाये गये तथा WP(C) संख्या



202/1995 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.12.1996 के अनुसार जंगल जंगल-झाड़ी की भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नहीं किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक-6144/रा०, दिनांक-12.12.2017 में भी वन भूमि/जंगल झाड़ी (DEEMED FOREST) को नियमितिकरण हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। इस संबंध में जमाबंदी रैयत को दिनांक-26.02.2020, एवं 25.03.2025 को नोटिश दिया गया। जमाबंदी रैयत उपस्थित हुये एवं कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। मौजा- मांझीपारा थाना नं०, 150 खाता नं०, 48 प्लॉट नं०, 640, 220 रकवा 6.61 ए० किस्म जमीन जंगल-झाड़ी गैरमजरुआ खास खाते की भूमि है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संदिग्ध है। राज्य हित की क्षतिकारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधने के लिए जमाबंदी कायम हुई है।

अतः BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत मौजा- मांझीपारा थाना नं०, 150 खाता नं०, 48 प्लॉट नं०, 640, 220 रकवा 6.61 ए० किस्म गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं० 39/1 पर मनतौर कुमारी ग्राम मांझीपारा के नाम कायम है, की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अचल अधिकारी,
कुन्दा।


अचल अधिकारी,
कुन्दा।